तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सम्पतलाल बनाम भागीरथ आदि मु.नं. 103/2020 अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.04.2021	पत्रावली आज पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित । प्रार्थी वकील द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि तहसील लूनकरनसर के चक 301–700 आरडी के मु0नं0192/59 के कि0नं0 6 तादादी 1 बीघा कमाण्ड, मु.नं. 212/3 में कि0नं0 24,25 में 2 बीघा कमाण्ड, मु0नं0 212/4 के कि0नं0 4,5,6,7 में 4 बीघा कमाण्ड कुल तादादी 7 बीघा कमाण्ड भूमि कब्जे एवं दखल में हैं। प्रार्थी उपरोक्त खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है जो स्वीकृत रास्ता है मु0नं0 212/3 के कि0नं0 1,10,11,20,21 में हैं। प्रार्थी उक्त रास्ता में मु.नं. 212/3 के कि0नं0 11,12,19 में से होकर अपने खेत में प्रवेश करता हैं। इसी रास्ता से प्रार्थी आवागमन करता आ रहा हैं। उक्त रास्ते से अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करते है एवं पशुधन लाते ले जाते है उक तरास्ते से पुराने समय से आवागमन होता आ रहा हैं प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए स्वीकृत रास्ता नहीं है इस कारण प्रार्थी को परेशानी हो रही हैं। प्रार्थी अपे खेत में आवागमन के लिए रास्ता वेकृत करवाना चाहता हैं। चक 301–700 आरडी के मु0नं0 212/3 के कि0नं0 9,11/2,12 ता 14, 16ता19, 22,23 अप्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें से प्रार्थी अवागमन करता आ रहा है इसलिए प्रार्थी मु0नं0 212/3 के कि0नं0 11 दक्षिण सींव व किला नम्बर 19 की पूर्व सींव से अपने खेत में प्रवेश करता है । प्रार्थी उक्त किलों में होकर अपने खेत में प्रवेश करता हैं। इस कारण उक्त किलों में प्रत्येक बीघा 12–12 फुट रास्ता स्वीकृत फरमाया जावें। प्रार्थी के पास उपरोक्त खातेदारी मु0नं0 212/3 में चल रहे रास्ते के अलावा अन्रू कोई जन एवं वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी भूमि के मु0नं0 212/3 के कि0नं0 11 व 12 की दक्षिण सींव व किला नं. 19 की पूर्व सींव पर 12 फूट चौडाई रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है प्रार्थी रास्ते की भूमि के बदले में अप्रार्थी संख्या 01 को नियमानुसार प्रतिकर राशि देने को तैयार हैं। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब प्रार्थना एवं शपथ पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है । जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र में पैरा संख्या 1 ता 5 स्वीकार किये गए हैं तथा निवेदन किया गया कि चक 301/700 आरडी के मु0नं0 212/3 में 10.18 बीघा मेंरे खातेदारी भूमि हैं। 212/3 के कि0न0 11/2, 12 के दक्षिण सींव एवं किला नम्बर 19 की पूर्वी सींव से रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं तो अप्रार्थी संख्या 1 को कोई एतराज नहीं हैं एवं नियमानुसार रास्ते के बदले प्रतिफल राशि दिलवाने का निवेदन किया। पैरोकार राज उपस्थित सम्बन्धित खातेदार की खातेदारी भूमि मे से सहमति से रास्ता दिये जाने पर उन्हे कोई एतराज नहीं हैं। मने पत्रावली को अवलोकन किया । पत्रावली में शामिल जमाबन्दी ग्राम 301–700 आरडी संवत् 2073–76 के मु0नं0 212/3 , नकल नक्शा पेमाना चक 302 –700 आरडी मु0नं0 212/3 की छाया प्रति, शामिल पत्रावली दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । उपलब्ध दस्तावेजों एवं शपथ पत्र अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान में प्रार्थी की भूमि तक जाने हेतु रास्ते का अभाव है । अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश कर नियमानुसार रास्ते के बदले प्रतिफल राशि दिलवाने का निवेदन किया गया हैं। अतः प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को नियमानुसार डीएलसी राशि की दोगुनी राशि का भुगतान करने पर आपसी सहमति एवं शपथ पत्र के आधार पर चक 301–700 आरडी के मु. नं0 212/3 के कि0न0 11/2 में 2 बिस्वा, किला नं. 12 के दक्षिण सींव में 2 बिस्वा एवं किला नम्बर 19 के पूर्वी सींव से 2 बिस्वा रास्ता कुल 6 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं। तहसीलदार लूनकरनसर उक्तानुसार भुगतान प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या एक को करने पर एवं आपसी सहमति के आधार पर उक्त रास्ता का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करे। आदेश कि प्रमाणित प्रति तहसीलदार लूनकरनसर को प्रेषित हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। यह आदेश आज दिनांक 08.04.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (भागीरथ शाख) उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 11:34:57 IST
Reason: SelfAttested